# मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)

"चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड नं.1, भोपाल – 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in


## समूह-1 उपसमूह-2 पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025

| ऑनलाईन आवेदन-पत्र | | | |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि | : **24-12-2025** | आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | : **07-01-2026** |
| आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि | : **24-12-2025** | आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि | : **12-01-2026** |
| परीक्षा दिनांक व दिन | | **10 फरवरी 2026 से प्रारम्भ** | |
| **परीक्षा शुल्क** | | | |
| सीधी भर्ती /संविदा पदो हेतु | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये | | रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ **नि:शक्तजन** अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये ) | | रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र |
| सीधी भर्ती – बैकलॉग | | | कोई शुल्क नहीं |
| ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा । | | | |

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

| परीक्षा का नाम | **परीक्षा दिनांक एवं दिन** | **परीक्षा की पाली** | **अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय** | **महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय** | **उत्तर अंकित का समय** |
|---|---|---|---|---|---|
| **समूह-1 उप समूह-2** | **10 फरवरी 2026 से प्रारम्भ** | **प्रथम** | **प्रात**: 7:00 **से 8:00 बजे तक** | 08:50 **से** 09:00 **बजे तक** (10 **मिनट**) | **प्रात**: 09:00 **से** 12:00 **बजे तक** (3:00 **घंटे**) |
| | | **द्वितीय** | **दोपहर** 12:30 **से** 01:30 **बजे तक** | 02:20 **से** 02:30 **बजे तक** (10 **मिनट**) | **दोपहर** 02:30 **से** 05:30 **बजे तक** (3:00 **घंटे**) |

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(**UIDAI**) के द्वारा सत्यापित(**Verify**) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई–आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, Sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ई.एस.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अत :कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) (पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

13. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी । )

# म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)

"चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,


---

**समूह-1 उपसमूह-2 पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025**

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची


| स.क्रं. | अध्याय | विवरण | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | समूह-1 उपसमूह-2 पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 | 4-21 |
| 2. | 2 | विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका | 22-63 |
| 3. | 3 | म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली | 64-79 |
| 4. | 4 | परीक्षा का पाठयक्रम | 80-81 |
| 5. | **प्रारूप-1** | यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक | 82 |
| 6. | **प्रारूप-2** | मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र | 83 |

**समूह-1 उपसमूह-2 पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025**

**अध्याय – 01**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**नियम**

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -**

(1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाऐं -** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;

(ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;

(च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;

(छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;

( ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

(ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;

(त) "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;

**3. लागू होना :-** (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

(2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

**4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना -** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. **अर्हकारी अंक -** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अकों में 10% की छूट प्रदान की गई है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. **विस्तार -**

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 एवं 416 दिनांक 10 अक्टूबर 2016 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है।** विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

**तालिका**

| स. क्र. | सेवा समूह | पद का संवर्ग/पदनाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1. | **समूह-1 उपसमूह-2** | **समूह-1 उपसमूह-2 पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025** | तृतीय श्रेणी |

8. **परीक्षा का आयोजन -** ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा **समूह-1 उपसमूह-2** के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् **–तालिका**

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

| स.क्र. | समूह | प्रश्न पत्र की कुल संख्या | कुल अंक | प्रश्न पत्र का विवरण | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | **समूह-1 उपसमूह-2** | 01 | 200 | (अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान | 100 |
| | | | | (ब) संबंधित विषय | 100 |

**09.** पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

**समूह-1 उपसमूह-2**

(क) अभ्यर्थियों ने विभागो के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

**9.3 (अ) आयु सीमा -** उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। **अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।** आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** की स्थिति में की जाएगी :

**(ब)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 73/104/2022/आ.प्र./2021 दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियो को आयुसीमा में छूट का प्रावधान नही है ।

9.3.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

9.3.2 जिस आवेदक की दो से अधिक संतानें हो जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

9.3.3 शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

9.3.4 कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो: परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित है, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

**9.4(1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-**

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना **01 जनवरी 2025** से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी.**3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 **भोपाल दिनांक** 04 जूलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

| **क्र.** | **भर्ती का तरीका** | **लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए** |
|---|---|---|
| | | **न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में )** |
| 1 | खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए | **18 से 40** |
| | अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ ( अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए | **18 से 45 ( अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट )** |

**नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

**9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-**

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर ) से अधिक नहीं होगी।

**9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-**

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

**<u>स्पष्टीकरण</u> :-** शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी
सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**<u>स्परष्टीकरण</u> :-** शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषो के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

**(2)** यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

**सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -**

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृटि से, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल कर सकेगा।

**10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -**

(1) अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र ऑनलाईन पद्धति भरेंगे । किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

(2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।

**11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना**

(1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ई.डब्लू.एस./ महिलाओं/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी

अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

(4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगें।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

(6) समान परसेंटाइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में निम्नानुसार रहेगा:-

(a) प्राप्त हुए अंतिम अंक (कुजी समीति की अनुशंसा उपरांत परीक्षा में प्राप्त कुल किये गये अंक+बिन्दु क्रमांक 14 के अनुसार अतिरिक्त बोनस अंक)

(b) बिन्दु (a) अनुसार अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे

**12 . नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाऐं -**

(1) **मण्डल** उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

(2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वत: ही रदद् हो जाएगी।

**13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -**

(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है । जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चत किया गया है ।

**14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिऐ विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता –**

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

| | | |
|---|---|---|
| 01 | हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को | ए-1 |
| 02 | हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को | ए-2 |
| 03 | भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel – Exservicemen –other ranks ) को | ए-3 |
| 04 | निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी | बी |
| 05 | अतिशेष कर्मचारियों को | बी |
| 06 | जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी | बी-1 |
| 07 | कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को | बी-2 |
| 08 | राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र | सी-1 |
| 09 | वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को - | सी-2 |

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गोक की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गो के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

**15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -**

(1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण-पत्र।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण-पत्र।

(5) प्राथमिकता (कण्डिका-14 के अनुसार) संबंधित प्रमाण-पत्र

(6) आवेदन पत्र में अंकित जानकारी अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र

**16. आरक्षण -**

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

| | | |
|---|---|---|
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | - | 10 प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | - | 20 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति | - | 16 प्रतिशत |
| अन्य पिछड़े वर्ग | - | 27 प्रतिशत |

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

**सम्पुर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- http://gad.mp.gov.in को देखे।**

(2) **क्षैतिज आरक्षण -**

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेंणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | दृष्टिबाधित और कमदृष्टि, | (VH) | 1.5 प्रतिशत |
| 2. | बहरे और कम सुनने वाले, | (EH) | 1.5 प्रतिशत |
| 3. | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी | (LD) | 1.5 प्रतिशत |
| 4. | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता | (MD) | 1.5 प्रतिशत |

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नि:शक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमश: तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

## (3) संविदा कर्मियों हेतु नियम

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदो पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनो में से जो कम हो),संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएगे। इन निर्देशो अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशो के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुन :लाभ की पात्रता नहीं होगी।

3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

3.2.1 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

3.2.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।

3.3 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदो पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।

3.4 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुन: उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।

3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हे पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

3.7 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

3.8 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित

अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.9 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

3.10 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहॉ आवश्यक हो वहॉ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छुट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

3.11 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 एवं सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल) भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 16(3) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

(4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा।

(6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक दिनांक 10 फरवरी 1997 अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग महिलाओ के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नही किये जायेगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नही भरा जायेगा, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

**17.आवेदन शुल्क -**

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ई.डब्लू.एस. का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ई.डब्लू.एस. वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर मे आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

**18.यात्रा भत्ता -**

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये है। सभी अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-1** में अपना बैंक खाता विवरण परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

**19.परीक्षा केन्द्र -**

परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा । प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खण्ड-स में दी गई है ।

**20. निरर्हता -**

(1) **मण्डल** अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। **मण्डल** ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) (क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

**21.अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -**

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलत: प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

**22. आवेदनों का रद्द किया जाना -**

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

**23.** अभ्यर्थी **द्वारा आरक्षण का दावा -**

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

**24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -**

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

(क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या

(ड़) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या

(ो ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यव्हार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

**नोट:-** किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

**26.** मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

**27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति**

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान संबधित विभाग द्वारा किया जावेगा ।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितिय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतिय वर्ष 90 प्रतिशत राशि के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा ।

# विभागवार रिक्त पदों का विवरण

**पदो का एकजाई विवरण**

| स.क्र | प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमे पद रिक्त है | पद क्रम | भर्ती का प्रकार | पद | श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या | | | | | | कार्यपालिक/ अकार्यपालिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अना. | EWS | अजा. | अजजा | अपिव | कुल | |
| 01 | नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा | 01 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | अकार्यपालिक |
| | | 02 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 03 | सीधी भर्ती | साककेट्रिक सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 02 | गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल | 04 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | अकार्यपालिक |
| | क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान, भोपाल | 05 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | अकार्यपालिक |
| | | 06 | सीधी भर्ती | फिजियोथेरापिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| 03 | अधिष्ठाता अटल बिहारी बाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा | 07 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | 08 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 09 | सीधी भर्ती | साईक्रेट्रिक सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 10 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 11 | सीधी भर्ती | सहायक अस्पताल प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| 04 | श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा | 12 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | अकार्यपालिक |
| | | 13 | सीधी भर्ती | साईक्रेट्रिक सोशल वर्कर | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | अकार्यपालिक |
| | | 14 | सीधी भर्ती | बायोकेमिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 15 | सीधी भर्ती | सहायक अस्पताल प्रबंधक | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 16 | सीधी भर्ती | उप रजिस्ट्रार | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक, रीवा | 17 | सीधी भर्ती | सहायक अस्पताल प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 05 | बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल | 18 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | 19 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 20 | सीधी भर्ती | सायकेट्रिक सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 06 | कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल | 21 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 05 | अकार्यपालिक |
| | | 22 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर एम.एस.डब्ल्यू | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | अकार्यपालिक |
| | | 23 | सीधी भर्ती | बायोकेमिस्ट | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | 24 | सीधी भर्ती बैकलॉग | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 25 | सीधी भर्ती बैकलॉग | मेडिकल सोशल वर्कर एम.एस.डब्ल्यू | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 07 | अधिष्ठाता शासकीय स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम | 26 | सीधी भर्ती | सहायक अस्पताल प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | 27 | सीधी भर्ती | सायक्रेट्री सोशल वर्कर | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 28 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 | अकार्यपालिक |
| 08 | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया | 29 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 05 | अकार्यपालिक |
| | | 30 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 31 | सीधी भर्ती | सायक्रेट्री सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | 32 | सीधी भर्ती | फिजियोथेरेपिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | 33 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34 | सीधी भर्ती | अस्पताल प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 35 | सीधी भर्ती | सहायक अस्पताल प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 36 | सीधी भर्ती | उप रजिस्ट्रार | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 09 | अधिष्ठाता (शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर | | 37 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 38 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | सुपर स्पेशिलिटी, इन्दौर | | 39 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 40 | सीधी भर्ती | अस्पताल सहायक प्रबंधक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फार आई, इन्दौर | | 41 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | अकार्यपालिक |
| 10 | अधिष्ठाता स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर | | 42 | सीधी भर्ती | साईकेट्रिक सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 43 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 07 | अकार्यपालिक |
| | | | 44 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 45 | सीधी भती | बायोकेमिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 11 | म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल | | 46 | सीधी भर्ती | केमिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| 12 | छिन्दवाडा इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाडा | | 47 | सीधी भर्ती | मेडिकल सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 48 | सीधी भर्ती | सहायक साख्यिकी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 49 | सीधी भर्ती | साइकेट्री सोशल वर्कर | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 13 | संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना | 50 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 51 | सीधी भर्ती | फिजियो थेरेपिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | | 52 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी | 53 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 54 | सीधी भर्ती | फिजियोथेरेपिस्ट | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | | 55 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर | 56 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 57 | सीधी भर्ती | फिजियोथेरेपिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | | 58 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच | 59 | सीधी भर्ती | क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 60 | सीधी भर्ती | फिजियोथेरेपिस्ट | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | | 61 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यिी अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| 14 | कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्दौर | | 63 | सीधी भर्ती | फेमेली वेलफेअर एज्युकेटर | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | अकार्यपालिक |
| 15 | संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल | | 64 | सीधी भर्ती | वरिष्ठ मार्गदर्शक | 04 | 00 | 01 | 01 | 02 | 08 | कार्यपालिक |
| | | | 66 | सीधी भर्ती बैकलॉग | वरिष्ठ मार्गदर्शक | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 06 | कार्यपालिक |
| | | | 65 | सीधी भर्ती | पर्यवेक्षक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | कार्यपालिक |
| | | | 66 | सीधी भर्ती | रसायनज्ञ | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | कार्यपालिक |
| | | | 67 | सीधी भर्ती | तकनीकी सहायक लेखन | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | कार्यपालिक |
| | | | 68 | सीधी भर्ती | कनिष्ठ मार्गदर्शक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | कार्यपालिक |
| | | | 69 | सीधी भर्ती | माइक्रोफोटोग्राफि फस्ट अभिलेखागार प्रभाग | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | कार्यपालिक |
| | | | 70 | सीधी भर्ती | सहायक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | कार्यपालिक |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | माइक्रोफोटोग्राफि फस्ट अभिलेखागार प्रभाग | | | | | | | |
| 16 | एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल | एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल | 71 | सीधी भर्ती | लेखापाल | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जललपुर | 72 | सीधी भर्ती | विपणन पर्यवेक्षक/विक्रय प्रोत्साहन | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | | 73 | सीधी भर्ती | लेखापाल | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर | 74 | सीधी भर्ती | लेखापाल | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | अकार्यपालिक |
| | | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन | 75 | सीधी भर्ती | लेखापाल | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | अकार्यपालिक |
| | | बुदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर | 76 | सीधी भर्ती | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | अकार्यपालिक |
| 17 | संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल | | 77 | सीधी भर्ती | एसोसिएट प्रोफेसर | 11 | 04 | 06 | 08 | 11 | 40 | अकार्यपालिक |
| | | | 78 | सीधी भर्ती | असिस्टेन्ट प्रोफेसर | 07 | 03 | 04 | 06 | 08 | 28 | अकार्यपालिक |
| | | | 79 | सीधी भर्ती | सिस्टर ट्यूटर | 58 | 22 | 35 | 44 | 59 | 218 | अकार्यपालिक |
| 18 | आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल | | 80 | सीधी भर्ती | सहायक सांख्यी अधिकारी | 18 | 06 | 05 | 03 | 13 | 45 | कार्यपालिक |
| | | | | | योग:- | 170 | 36 | 64 | 78 | 126 | 474 | |

# भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

## 1. नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र)

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र) पत्र क्र. 3084 खण्डवा, दिनांक 16.04.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --01-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | 01 | - | - | - | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | 01 | - | - | - | - | 03 | |

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --02-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकीय अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --03-- सीधीभर्ती - सायकेट्रिक सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचि तजाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

## 2. गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 41441 दिनांक 27.11.2024 एवं पत्र क्रमांक 381 दिनांक 03.01.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --04-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/ मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

### क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान, भोपाल (म.प्र.)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --05-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 03 | - | - | - | - | - | 03 | |

वेतनमान- 32800-103600

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/ मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --06-- सीधीभर्ती - फिजियोथेरापिस्ट- कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 42700-135100

शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरीपी में स्नातकोत्तर उपाधि।
2. मध्यप्रदेश सह-चिकिसकीय परिषद को जीवित पंजीयन।

## 3 . कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र)

कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र) का पत्र क्र. 4776 दिनांक 25.10.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --07-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचितजाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचितजनजाति(ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्यपिछड़ावर्ग(OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --08-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकीय अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचितजाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचितजनजाति(ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्यपिछड़ावर्ग(OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --09-- सीधीभर्ती - सायकेट्रिक सोशलवर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचितजाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचितजनजाति(ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्यपिछड़ावर्ग(OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान -5200-20200+2800

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --10-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान -9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में 01 वर्ष का अनुभव।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --11-- सीधीभर्ती - सहायक अस्पताल प्रबंधक - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचितजाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचितजनजाति(ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्यपिछड़ावर्ग(OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- निश्चित वेतनमान रु. 40000/-

शैक्षणिक योग्यता -

1. Master of Hospital Administration / Master of Hospital Management.
2. अस्पताल प्रबंधक के कार्यों में 01 वर्ष का अनुभव |

## 4. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) पत्र क्र. 20904 दिनांक 02.09.2024 एवं पत्र क्र. 25656 दिनांक 29.10.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --12-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | |
| | योग | 04 | - | - | - | 02 | - | 06 | |

वेतनमान - 32800-103600 (लेबल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र/मेडिको सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू उपाधि।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 04 | - | - | - | 01 | | 05 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | - | - | - | - | 01 | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | - | - | - | - | 01 | - | 01 | |

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --13-- सीधीभर्ती - सायक्रेटिक सोशल वर्कर - कुल 04 पद(अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित(UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 03 | - | - | - | 01 | - | 04 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर।

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सायक्रेटिक सोशल वर्कर - कुल 03 पद(अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 02 | - | - | - | 01 | - | 03 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सायक्रेटिक सोशल वर्कर - कुल 01 पद(अकार्यपालिक) (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --14-- सीधीभर्ती - बायोकेमिस्ट- कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 32800-103600 (लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

एम.एम.एल.टी. (बायोकेमिस्ट्री) स्नातकोत्तर उपाधि अथवा केमिस्ट्री/बायोकेमिस्ट्री में स्नातक के साथ डी.एम.एल.टी./क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा |

2. मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन |

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --15-- सीधीभर्ती - अस्पताल सहायक प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 40,000/-(एक मुश्त मासिक वेतन)

शैक्षणिकयोग्यता -

1. Master of Hospital Administration/Master of Hospital Management
2. अस्पताल प्रबंधक के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --16-- सीधीभर्ती - उप रजिस्ट्रार - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 60,000/-(एक मुश्त मासिक वेतन)

शैक्षणिकयोग्यता -

1. Master of Hospital Administration/Master of Hospital Management/M.B.A. H.R.
2. शासकीय/स्वशासी महाविद्यालय अथवा स्वशासी/निजी चिकित्सालय में अकादमिक/प्रबंधकीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।

सुपर स्पेशलिटी ब्लाक, रीवा (म.प्र.)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --17-- सीधीभर्ती - अस्पताल सहायक प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 40,000/-(एक मुश्त मासिक वेतन)

शैक्षणिकयोग्यता -

1. Master of Hospital Administration/Master of Hospital Management
2. अस्पताल प्रबंधक के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।

## 5. बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) का पत्र क्र. 300, दिनांक 10.12.2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --18-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर- कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 9300-34800+3200

शैक्षणिकयोग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू उपाधि ।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --19-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकीय अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --20-- सीधीभर्ती - सायकेट्रिक सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 5200-20200+2800

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

## 6. कार्यालय संचालक, कमला नेहरु चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय संचालक, कमला नेहरु चिकित्सालय, भोपाल (म.प्र.) पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 4772 भोपाल दिनाक 12/12/ 2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --21-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 04 | - | - | - | - | - | 05 | |

वेतनमान - 36200-114800 (लेवल-9)

शैक्षणिक योग्यता -

वाणिज्य, सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(संविदाकर्मी हेतु आरक्षित 01 पद के लिए संविदा पर ए.एस.ओ अथवा वरिष्ठ पद का 05 वर्ष का अनुभव)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --22-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर-एम.एस.डब्ल्यू- कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 03 | - | - | - | - | - | 03 | |

वेतनमान . 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --23-- सीधीभर्ती -बायोकेमिस्ट- कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 36200-114800 (लेवल-9)

शैक्षणिक योग्यता-

एम.एस.सी. (बायोकेमेस्ट्री) या एम.एस.सी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री)

अथवा

बी.एस.सी. (केमिस्ट्री) एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --24-- सीधीभर्ती बैकलॉग - सहायक सांख्यिकीय अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 36200-114800(लेवल-9)

शैक्षणिक योग्यता -

वाणिज्य, सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --25-- सीधीभर्ती बैकलॉग - मेडिकल सोशल वर्कर-एम.एस.डब्ल्यू - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300(लेवल-9)

शैक्षणिक योग्यता -

समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

## 07. कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम, सैलानी रोड, ग्राम ब्रंजली, रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 148 भोपाल, दिनाक 04.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 11934 दिनांक 26.08.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड -- 26-- सीधीभर्ती- सहायक अस्पताल प्रबंधक - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 40000/- एक मुश्त वेतन प्रतिमाह।

शैक्षणिक योग्यता -

01. Master of Hospital Administration/Master of Hospital Management
02. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती- सहायक अस्पताल प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती- सहायक अस्पताल प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | - | - | - | 01 | |

पोस्ट कोड --27-- सीधीभर्ती -सायकेट्रिक सोशल वर्कर- कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 28700 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

पोस्ट कोड --28-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर- कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 03 | - | - | - | 01 | - | 04 | |

वेतनमान- 32800(लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

## 08. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 76 भोपाल, दिनाक 02.01.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --29-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर- कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | |
| | योग | 03 | - | - | - | 02 | - | 05 | |

वेतनमान- 32800-103600+3200 (लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 03 | - | - | - | 01 | - | 04 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | - | - | - | - | 01 | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | - | - | - | - | 01 | - | 01 | |

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --30-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600+3200 (लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/गणित विषय मे कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --31-- सीधीभर्ती -सायकेट्री सोशल वर्कर- कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 28700 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --32-- सीधीभर्ती -फिजियोथेरेपिस्ट- कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 9300-34800+4200 (लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

01. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी स्नातकोत्तर उपाधि।
02. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --33-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 9300-34800+4200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनत्तम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --34-- सीधीभर्ती - अस्पताल प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- निश्चित वेतन रुपये 60000/-

शैक्षणिक योग्यता -

1. मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मेनेजमेंट।
2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 03 वर्ष का अनुभव।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --35-- सीधीभर्ती - सहायक अस्पताल प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- निश्चित वेतन रुपये 40000/-

शैक्षणिक योग्यता -

1. मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मेनेजमेंट ।
2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 01 वर्ष का अनुभव।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --36-- सीधीभर्ती - उपरजिस्ट्रार - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- निश्चित वेतन रुपये 60000/-

शैक्षणिक योग्यता -

1. मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मेनेजमेंट/ एम.बी.ए. एच.आर.।
2. शासकीय/स्वशासी महाविद्यालय अथवा स्वशासी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक/ प्रबंधकीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।

## 09. कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (शासकीयस्वशासी संस्था) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र)

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (शासकीयस्वशासी संस्था) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र) का पत्र क्रमांक 14524 इन्दौर, दिनाक 23.10.2024 एवं पत्र क्रमांक 6756 इन्दौर, दिनाक 03.10.2024 एवं पत्र क्रमांक 6159 इन्दौर, दिनाक 25.04.2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

**(महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर)**

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --37-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600 (3200 ग्रेड पे)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --38-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 32800-103600 (3200 ग्रेड पे)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनत्तम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

## (सुपर स्पेशिलिटी, इन्दौर)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --39-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600 (3200 ग्रेड पे)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --40-- सीधीभर्ती - अस्पताल सहायक प्रबंधक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 40000/- एक मुश्त वेतन प्रतिमाह।

शैक्षणिक योग्यता -

01. Master of Hospital Administration/Master of Hospital Management

02. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।

## (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इन्दौर)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --41-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 03 | - | - | - | - | - | 03 | |

वेतनमान- 32800-103600 (3200 ग्रेड पे)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

## 10. कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) पत्र क्रमांक 37767 भोपाल, दिनाक 28.11.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --42-- सीधीभर्ती - साईकेट्रिक सोशल वर्कर - कुल 01पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --43-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 07 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| | योग | 07 | - | - | - | - | - | 07 | |

वेतनमान- 32800-103600 (लेवल 8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू. उपाधि।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 06 | - | - | - | - | - | 06 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | | | | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | | | | 01 | |

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --44-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600 (लेवल 8)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/गणित विषय मे कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --45-- सीधीभर्ती - बायोकेमिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800-103600 (लेवल 8)

शैक्षणिक योग्यता -

1. एम.एम.एल.टी. (बायोकेमिस्ट्री) स्नातकोत्तर में उपाधि अथवा केमिस्ट्री/बायोकेमिस्ट्री में स्नातक के साथ डी.एम.एल.टी./क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा।
2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

## 11. दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम), भोपाल

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम), भोपाल पत्र क्रमांक 77 भोपाल, दिनाक 20.05.2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --46-- सीधीभर्ती - केमिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | **निरंक** |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

प्रथम श्रेणी एम्.एस.सी. (केमिस्ट्री) एवं 02 वर्ष का कार्यानुभव |

## 12. छिन्दवाडा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइसेंस छिन्दवाडा, छिन्दवाडा (म.प्र.)

छिन्दवाडा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइसेंस छिन्दवाडा, छिन्दवाडा के पत्र क्रमांक 12854 दिनाक 29.11.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --47-- सीधीभर्ती - मेडिकल सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्लू उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --48-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/गणित विषय मे कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --49-- सीधीभर्ती - साइकेट्री सोशल वर्कर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 5200-20200+2800

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

## 13. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पत्र क्रमांक 584 दिनाक 19.06.2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यायल, सतना)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --50-- सीधीभर्ती - क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. साईकोलॉजी के बाद एम.फिल अथवा आर.सी.आई. के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --51-- सीधीभर्ती - फिजियो थेरेपिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 42700 (लेवल 10)

शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी मे स्नातकोत्तर उपाधि।
2. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --52-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यायल, सिवनी)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --53-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. साईकोलॉजी के बाद एम.फिल अथवा आर.सी.आई. के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --54-- सीधीभर्ती - फिजियो थेरेपिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 42700 (लेवल 10)

शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी मे स्नातकोत्तर उपाधि।
2. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --55-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यायल, मंदसौर)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --56-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. साईकोलॉजी के बाद एम.फिल अथवा आर.सी.आई. के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --57-- सीधीभर्ती - फिजियो थेरेपिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 42700 (लेवल 10)

शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी मे स्नातकोत्तर उपाधि।
2. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --58-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(शासकीय चिकित्सा महाविद्यायल, नीमच)

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --59-- सीधीभर्ती - क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. साईकोलॉजी के बाद एम.फिल अथवा आर.सी.आई. के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --60-- सीधीभर्ती - फिजियो थेरेपिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान- 42700 (लेवल 10)

शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी मे स्नातकोत्तर उपाधि।
2. मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --61-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति(SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान- 32800 (लेवल 08)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

## 14. संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्दौर (म.प्र.)

संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्दौर (म.प्र.) क्रमांक 680 भोपाल दिनांक 17.12.2024 एवं पत्र क्रमांक 7094 दिनांक 17/12/2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड --62-- सीधीभर्ती - फेमेली वेलफेअर ऐज्युकेटर - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| | योग | 04 | - | - | - | - | - | 04 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या समाज कार्य (सोशल वर्क) में स्नातकोत्तर उपाधि।
2. हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का धारा प्रवाह बोलने का ज्ञान।

## 15. संचालनालय पुरातत्व विभाग, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)

संचालनालय पुरातत्व विभाग, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 99 दिनांक 21.01.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --63-- सीधीभर्ती - वरिष्ठ मार्गदर्शक - कुल 08 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 03 | 01 | - | - | - | - | 04 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| | योग | 07 | 01 | - | - | - | - | 08 | |

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

Compulsory : Master Degree in second division in Ancient Indian History Culture and Archaeology form any recognised university

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - वरिष्ठ मार्गदर्शक - कुल 07 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 03 | 01 | - | - | - | - | 04 | |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 06 | 01 | - | - | - | - | 07 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - वरिष्ठ मार्गदर्शक - कुल 01 पद (कार्यपालिक) (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | | | | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | | | | 01 | |

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --64-- सीधीभर्ती-बैकलॉग - वरिष्ठ मार्गदर्शक - कुल 06 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 | 1 | - | - | - | - | 03 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 05 | 01 | - | - | - | - | 06 | |

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

Compulsory : Master Degree in second division in Ancient Indian History Culture and Archaeology form any recognised university

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --65-- सीधीभर्ती - पर्यवेक्षक - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --66-- सीधीभर्ती - रसायनज्ञ - कुल 04 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | - | - | - | - | - | 02 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 04 | - | - | - | - | - | 04 | |

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --67-- सीधीभर्ती - तकनीकी सहायक लेखन - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --68-- सीधीभर्ती - कनिष्ठ मार्गदर्शक- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय सहित स्नातक उपाधि, भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व से स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जावेगी।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --69-- सीधीभर्ती - माइक्रोफोटोग्राफिस्ट- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 36200-114800

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ स्तानकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से माइक्रोफोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --70-- सीधीभर्ती - सहायक माइक्रोफोटोग्राफिस्ट- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ स्तानकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से माइक्रोफोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।

## 16. एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 2230 दिनांक 13.08.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

1. एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --71-- सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

कॉमर्स में स्नातकोतर उपाधि एवं Tally एवं MS office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | - | - | - | 01 | |

2. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --72-- सीधीभर्ती - विपणन पर्यवेक्षक/विक्रय प्रोत्साहन संगठक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 32800-103600 (लेवल-8)

शैक्षणिक योग्यता -

मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोतर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विववर्षीय)

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --73-- सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH, 00 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोतर उपाधि एवं Tally एवं MS office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 00 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | - | - | - | - | - | - | - | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | - | - | - | 01 | दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH, 00 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | - | - | - | 01 | |

## 3. इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

### आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --74-- सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | **निरंक** |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

कॉमर्स में स्नातकोतर उपाधि एवं Tally एवं MS office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

## 4. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

### आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --75-- सीधीभर्ती - लेखापाल - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | **निरंक** |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 02 | - | - | - | - | - | 02 | |

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता -

कॉमर्स में स्नातकोतर उपाधि एवं Tally एवं MS office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

6. बुदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --76-- सीधीभर्ती - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |
| | योग | 01 | - | - | - | - | - | 01 | |

वेतनमान - 22100-70000 (लेवल-5)

शैक्षणिक योग्यता -

सांख्यिकी या कार्मस में स्नातकोतर उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कुल 00 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | - | - | - | - | - | - | - | निरंक |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | योग | - | - | - | - | - | - | - | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक) (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | - | - | - | 01 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | - | - | - | 01 | |

## 17. संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)

संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 793 दिनांक 10.11.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --77-- सीधीभर्ती - एसोसिएट प्रोफेसर - कुल 40 पद (अकार्यपालिक)

**(केवल महिला अभ्यर्थियो के लिए)**

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 04 | 01 | 06 | 11 | दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 02 | - | 02 | 04 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 | 01 | 03 | 06 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 03 | 01 | 04 | 08 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 04 | 01 | 06 | 11 | |
| | योग | 15 | 04 | 21 | 40 | |

वेतनमान - 49100 (लेवल-11)

शैक्षणिक योग्यता -

Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 8 Year' experience with M.Sc. (Nursing) including 5 Years teaching experience

Ph.D (Nursing) desirable

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - एसोसिएट प्रोफेसर - कुल 35 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 04 | 01 | 06 | 11 | दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 02 | - | 02 | 04 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 | 01 | 03 | 06 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 03 | 01 | 04 | 08 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 02 | 01 | 03 | 06 | |
| | योग | 13 | 04 | 18 | 35 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - एसोसिएट प्रोफेसर - कुल 05 पद (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्व सैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 02 | 00 | 03 | 05 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 02 | 00 | 03 | 05 | |

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --78-- सीधीभर्ती - असिस्टेन्ट प्रोफेसर - कुल 28 पद (अकार्यपालिक)

**(केवल महिला अभ्यर्थियो के लिए)**

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | 01 | 04 | 07 | दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 02 | - | 01 | 03 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 | - | 02 | 04 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | 01 | 03 | 06 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 03 | 01 | 04 | 08 | |
| | योग | 11 | 03 | 14 | 28 | |

वेतनमान - 42700 (लेवल-10)

शैक्षणिक योग्यता -

Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M.Sc. (Nursing) With total 3 Years teaching experience

Ph.D (Nursing) desirable

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - असिस्टेन्ट प्रोफेसर - कुल 24 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 02 | 01 | 04 | 07 | दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH, 01 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 02 | - | 01 | 03 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 | - | 02 | 04 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | 01 | 03 | 06 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 02 | - | 02 | 04 | |
| | योग | 10 | 02 | 12 | 24 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - असिस्टेन्ट प्रोफेसर - कुल 04 पद (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्व सैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 01 | 01 | 02 | 04 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 01 | 01 | 02 | 04 | |

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --79-- सीधीभर्ती - सिस्टर ट्यूटर - कुल 218 पद (अकार्यपालिक)

**(केवल महिला अभ्यर्थियो के लिए)**

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 23 | 06 | 29 | 58 | दिव्यांगों की कुल 13 रिक्तियों में से 03 VH, 03 EH, 04 LD एवं 03 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 09 | 02 | 11 | 22 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 15 | 03 | 17 | 35 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 18 | 04 | 22 | 44 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 24 | 06 | 29 | 59 | |
| | योग | 89 | 21 | 108 | 218 | |

वेतनमान - 42700 (लेवल-10)

शैक्षणिक योग्यता -

Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M.Sc. (Nursing) With total 3 Years teaching experience

Ph.D (Nursing) desirable

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सिस्टर ट्यूटर - कुल 190 पद (अकार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्वसैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित (UR) | 23 | 06 | 29 | 58 | दिव्यांगों की कुल 13 रिक्तियों में से 03 VH, 03 EH, 04 LD एवं 03 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 09 | 02 | 11 | 22 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 15 | 03 | 17 | 35 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 18 | 04 | 22 | 44 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 12 | 03 | 16 | 31 | |
| | योग | 77 | 18 | 95 | 190 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सिस्टर ट्यूटर - कुल 28 पद (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | भूतपूर्व सैनिक | संविदा कर्मी हेतु | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 12 | 03 | 13 | 28 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 12 | 03 | 13 | 28 | |

## 18. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 5990 दिनांक 10.12.2025 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड --80-- सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 45 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 11 | 06 | 01 | - | - | - | 18 | दिव्यांगों की कुल 04 रिक्तियों में से 01 VH, 01 EH, 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 04 | 02 | - | - | - | - | 06 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 03 | 02 | - | - | - | - | 05 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | 01 | - | - | - | - | 03 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 07 | 05 | 01 | - | - | - | 13 | |
| | योग | 27 | 16 | 02 | - | - | - | 45 | |

वेतनमान - 36200-114800 (लेवल-9)

शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाज शास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कम्प्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि या पीजीडीसीए अथवा समकक्ष अर्हता।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 39 पद (कार्यपालिक)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्वसैनिक | | संविदा कर्मी हेतु | | योग | विकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अनारक्षित (UR) | 11 | 06 | 01 | - | - | - | 18 | दिव्यांगों की कुल 04 रिक्तियों में से 01 VH, 01 EH, 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है । |
| 2. | ई.डब्लू.एस. | 04 | 02 | - | - | - | - | 06 | |
| 3. | अनुसूचित जाति (SC) | 03 | 02 | - | - | - | - | 05 | |
| 4. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 02 | 01 | - | - | - | - | 03 | |
| 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 04 | 02 | 01 | - | - | - | 07 | |
| | योग | 24 | 13 | 02 | - | - | - | 39 | |

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सीधीभर्ती - सहायक सांख्यिकी अधिकारी - कुल 06 पद (कार्यपालिक) (मा.उच्च न्यायालयके निर्णयाधीन)

| सक्र. | श्रेणी | निल | | भूतपूर्व सैनिक | | योग | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | | |
| 1. | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक) | 03 | 03 | - | - | 06 | निरंक |
| 2. | अनारक्षित (UR) (काल्पनिक) | 03 | 03 | - | - | 06 | |

## अध्याय-3

## म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संचालन के नियम एवं निर्देश

### खण्ड-अ

**3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

(iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदो पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नही किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।

(v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नही है। परन्तु प्रर्वग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मी में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।

**3.2** (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) परीक्षाओं की गोपनीयता,शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न-पत्रों के विकल्प को चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये प्रश्न-पत्रों के लिये संबंधित योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

(iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थियों परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा ।

(v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

**3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-**

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

**3.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Sun glasses and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

**3.5** लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदानकी जावेगी । किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनो की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनो (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतुकी सुविधा लेने

हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजोंएवं शपथ पत्र सहित ई.एस.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि ई.एस.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यार्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 50 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |
| 1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 30 मिनट |

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

### 3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र ई.एस.बी. की वेबसाईट www. esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधी के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नही किया जायेगा साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हे नस्तीबद्व किये जायेगे ।**

### 3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

**3.8 मूल्यांकन पद्धति :-**

(i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

(ii) परीक्षा में सही प्रश्नो की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियो द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा । अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा ।

**3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-**

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

(B) हिन्दी तथा अंग्रजी पाठ में समानता नही है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा । सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहा पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा) ।

(C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नो के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंको के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नो को हल किया हा या नही ।

**<u>उदाहरण 01</u>** :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

**<u>उदाहरण 02</u>** :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

**<u>उदाहरण 03</u>** :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

**नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।**

(आदेश क्र. ई.एस.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार )

## 3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्रं. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100$$

- **shifts** be denoted as $S_1, S_2, \ldots. S_K$.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, \ldots N_K$

- $X_{ij}$ be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to $N_j$ and j can vary from 1 to K.
- $P_{ij}$ be the **percentile score** of candidate$X_{ij}$, where, i can vary from 1 to $N_j$ and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

**A.2 Step 1**: Compute the percentile score of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

**A.3 Step 2:** Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$=\text{ROUND}\left(\text{NORMSINV}\left(\frac{\quad}{\quad} - \mathbf{0.005}\right),6\right)$$

where,

- = Z -value score of ith candidate & jth shift

**A.4 Step 3:** Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$=$$

where, = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

**A.5 Step 4:** Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ( with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) willl be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

## 3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु ई.एस.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से

प्रस्तुत की जा सकती है । लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियॉ ली जा सकेंगी । उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी । अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी । एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा । अत: उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुन: आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं हागी । प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा । मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार ई.एस.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञो (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया अंतिम होगा।

**3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-**

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **<u>अनुचित साधन (Unfair means)@ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>**

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा ।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डेटा विशलेक्षण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियो के विरूद्व यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदको की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी मे मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर ई.एस.बी. को अवगत कराया जायेगा।

ई.एस.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

### 3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर ई.एस.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

(iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी ई.एस.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

### 3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

**3.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-**

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार ई.एस.बी. का होगा।

(ii) ई.एस.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ई.एस.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ई.एस.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख ई.एस.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

**3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-** परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

**3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियो द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा ।

(v) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा ।

(vi) संविदा कर्मचारी हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधि प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य) इत्यादि को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा ।

(vii) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**"मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णत: सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रदद् की जा सकती हैं।"**

**3.16** ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

### 3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रूटि सुधार के लिखित आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई

गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

**3.18 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>**

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** /आधार V ID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे ई.एस.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

**3.19 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-**

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

**3.20 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-**

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

**3.21** आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

**3.22** निर्धारित समयावधी में भुगतान नही किये गये आवेदन मान्य नही किये जायेगे। साथ ही ऑफलाईन आवेदन अथवा परीक्षा शुल्क भी मान्य नही किये जायेगे।

**3.23 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था**

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

(ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये है लेकिन भुगतान नही किया है, वे संशोधन अवधी में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

**3.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-**

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ई.एस.**बी.**स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में ई.एस.**बी.** द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

**3.25** ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

**3.26** परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

**3.27** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

**3.28 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन**

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर

पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

**3.29 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -**

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु **निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु **संबंधित विभाग** को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मण्डल को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) मण्डल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषितत पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत मण्डल द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(vii) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे ।

**3.30** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत ई.एस.बी. की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

**3.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि**

| ऑनलाईन आवेदन पत्र | | | ऑनलाईन आवेदन में संशोधन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भरने की प्रारंभिक तिथि | भरने की अंतिम तिथि | भरने के कुल दिवस | करने की प्रारंभिक तिथि | करने की अंतिम तिथि | करने के कुल दिवस |
| **24.12.2025** | **07.01.2026** | **15** | **24.12.2025** | **12.01.2026** | 20 |

**3.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण**

| स.क्रं. | परीक्षा का नाम | पाली | दिनांक | अवधि | समय | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **समूह-1 उपसमूह-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025** | **प्रथम** | **10 फरवरी 2026 से प्रारम्भ** | 03 **घंटे** | **प्रात: 09**:00 **से 12**:00 **तक** | 200 |
| | | **द्वितीय** | | | **दोपहर** 02:30 **से** 05:30 **तक** | 200 |

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

**3.33** (i) **परीक्षा शुल्क :-**

| **स.क्र.** | **प्रश्नपत्रों की संख्या** | **अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये** | **अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)** | **दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)** | **आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क** | **सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **एक** | 500/- प्रति प्रश्न पत्र | 250/- प्रति प्रश्न पत्र | 250/- प्रति प्रश्न पत्र | कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/- | **निरंक** |

(ii) **संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

| **स.क्र.** | **प्रश्नपत्रों की संख्या** | **आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क** | **आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क** |
|---|---|---|---|
| **01.** | **एक** | 20/- | 40/- |

**3.34 परीक्षा शहर :-**

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथिमकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथिमकता में अंकित किये गए शहरों में सीटो की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है| बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी ।

| **आनलाईन परीक्षा केन्द्र** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल | इन्दौर | जबलपुर | खण्डवा | नीमच | रतलाम |
| रीवा | सागर | सतना | सीधी | उज्जैन | अनूपपुर |

## अध्याय - 04

## पाठ्यक्रम

**( परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा )**

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

**प्रश्नपत्र का विवरण :**

**200 अंक**

| स.क्र. | विषयों का विवरण | अंक |
|---|---|---|
| | प्रश्न खण्ड अ | |
| 1 | सामान्य ज्ञान | 100 |
| 2 | सामान्य हिन्दी | |
| 3 | सामान्य अंग्रेजी | |
| 4 | सामान्य गणित | |
| 5 | सामान्य तार्किक योग्यता | |
| 6 | सामान्य विज्ञान | |
| 7 | सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान | |
| | प्रश्न खण्ड ब | |
| 8 | संबंधित विषय | **100** |
| | **कुल अंक** | **200** |

# संबंधित विषय हेतु पाठयक्रम

| स.क्र. | पोस्ट कोड | पाठ्यक्रम कोड | प्रश्न पत्र का विवरण | विषयों का विवरण प्रश्न पत्र का स्तर |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01, 04, 05, 07, 12, 18, 22, 25, 28, 29, 37, 39, 41, 43, 47, 62 | A | समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर | स्नातकोत्तर |
| 02 | 02, 08, 19, 21, 24, 30, 44, 48, 52, 55, 58, 61, 80 | B | सांख्यिकी | स्नातकोत्तर |
| 03 | 03, 09, 10, 13, 20, 27, 31, 33, 38, 42, 49, 50, 53, 56, 59 | C | मनोविज्ञान | स्नातकोत्तर |
| 04 | 06, 32, 51, 54, 57, 60 | D | फिजियोथेरेपी | स्नातकोत्तर |
| 05 | 11, 15, 16, 17, 26, 34, 35, 36, 40 | E | Hospital Administration, Hospital Management | स्नातकोत्तर |
| 06 | 14, 23, 45 | F | बायोकेमिस्ट्री | स्नातकोत्तर |
| 07 | 46, 66 | G | रसायन शास्त्र | स्नातकोत्तर |
| 08 | 63, 64, 65, 67, 68 | H | प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी | स्नातकोत्तर |
| 09 | 71, 73, 74, 75 | I | कॉमर्स | स्नातकोत्तर |
| 10 | 72 | J | मार्केटिंग मैनेजमेंट | स्नातकोत्तर |
| 11 | 76 | K | सांख्यिकी, कॉमर्स, कम्प्यूटर | स्नातकोत्तर |
| 12 | 77, 78, 79 | L | नर्सिंग | स्नातकोत्तर |
| 13 | 69, 70 | M | भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र | स्नातकोत्तर |

## भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम : .....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : .....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : .....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : .....
   (जैसा बैंक खाते में है )
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : .....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : .....
7. बैंक का नाम : .....
8. बैंक शाखा का नाम : .....
9. बैंक का IFS Code : .....
10. बैंक खाता क्रमांक : .....
11. परीक्षार्थी गृह जिला : .....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : .....
13. यात्रा का प्रकार : .....
14. यात्रा व्यय की राशि : .....
15. पत्र व्यवहार का पता : .....
16. ई-मेल : .....
17. फोन न. : .....

संलग्न :-

1. बैक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....

.....

**प्रारूप-2**

**मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

**परीक्षा का नाम:- समूह-1 उपसमूह-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025**

| आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे |
|---|

1. आवेदक का नाम :- .....
2. पिता का नाम :- .....
3. माता का नाम :- .....
4. लिंग (पुरूष/महिला):- .....
5. जन्मतिथि :- .....
6. आदिम जनजाति का नाम :- .....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- .....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- .....
9. कार्यअनुभव का विवरण :- .....
10. विशेष/अन्य विवरण :- .....
11 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- .....
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- .....
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प( नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार ) : -

| स.क्र. | विभाग का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :- .....

निवास का पता :- .....

.....

मोबाईल/दूरभाष नं. :- .....